आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Special Assistance Department

Financial assistance to family or person of SC and ST victims of atrocities

जातिगत अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आर्थिक मदद।

क्या मिल सकता है

पेज के अनुसार मामले के अनुसार 0.85 लाख से 8.25 लाख रुपये।

किसके लिए है

जातिगत अत्याचार के SC या ST पीड़ित, जिनका अपराध बताए गए कानूनों में दर्ज हो।

मुख्य शर्तें

- SC या ST।
- बताए गए कानूनों के तहत अपराध दर्ज।
- जाति प्रमाणपत्र; जहां जरूरी हो वहां मेडिकल प्रमाणपत्र।

दस्तावेज़

- जाति प्रमाणपत्र
- मेडिकल प्रमाणपत्र (जहां जरूरी हो)

आवेदन कैसे करें

1. अपने जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण के पास आवेदन करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/scheme-for-providing-financial-assistance-to-family-members-of-scheduled-castes-and-scheduled-tribes-victims-of-atrocities/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-atrocity-victims-financial-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।